



Bhopal Municipal Corporation
नगर पालिक निगम, भोपाल

नगर पालिक निगम भोपाल

राजस्व विभाग
व्यवसाय लाइसेंस
वर्ष : 2023-24

नगर पालिक निगम अधिनियम 1948 की धारा 311 एवं 320 के अंतर्गत निर्मित उपविधियों के अंतर्गत जारी



अनुमति क्रमांक	: 8000079858		
आवेदन दिनांक	: 19.10.2023		
वार्ड	: 0043	जोन	: 0012
उपभोक्ता का नाम	: सुनीलगुप्ता	खाला क्र.	: P004703401
दुकान / वर्क का नाम	: PRAMOD NIVRUTTI GHUGE		
दुकान / वर्क मालिक का नाम	: PRAMOD NIVRUTTI GHUGE S/O NIVRUTTI GHUGE		
पता	: PLOT NO. 5/6, 1 FLOOR CITY CENTER ZONE 01 MP NAGAR		
लाइसेंस का उद्देश्य / व्यवसाय	: RESTAURANT		
लाइसेंस अवधि	: 01.04.2023 To 31.03.2024		

नोट

1. नगर पालिक निगम द्वारा अधिकृत अधिकारी के द्वारा निरीक्षण करने के दौरान पाए जाने पर लाइसेंस प्रस्तुत करना होगा।
2. व्यवसाय का स्थान एवं लोग परिवर्तन की दशा में नवीन लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
3. कच्ची ओ लार्ड के विवाद की शिकायत में न्याय क्षेत्र, उक्त पालिका / निगम का रहेगा जहाँ से लाइसेंस जारी हुआ है।
4. अल्पकालिक अवकाश / दस्तावेजों के आधार पर लाइसेंस निरस्त माना जाकर संबंधित पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
5. उक्त प्रमाण पर व्यवसाय की अनुमति मात्र है। जून, जमागत एवं स्वामित्व विवाद के लिए जारीकर्ता निगम जवाबदार नहीं होगा।
6. व्यवसाय बंद होने पर लाइसेंस / खाला आवेदन प्रस्तुत कर बंद करना अनिवार्य आवश्यक होगा।
7. समय-समय पर शालन / जिमा प्रशासन सम्बंधित व्यवसाय के सम्बन्ध में जो भी दिशा निर्देश जारी होंगे, उनका पालन करना अनिवार्य होगा।
8. उक्त लाइसेंस व्यवसाय पर लागू नियमों / अधिनियमों के पालन करने की शर्तों पर जारी किया जाता है।
9. उक्त लाइसेंस सिगरेट एवं अन्य लम्बाक उत्पाद अधिनियम 2003 एवं सांख्यिकी स्थलों पर धूमपान का प्रतिबंध नयमावल 2002 के उपनियमों के पालन करने का शर्तों पर जारी किया जाता है।

अनुमति अधिकारी
नगर पालिक निगम भोपाल
वार्ड क्र.-43
नगर निगम भोपाल